रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220019
CG-DL-E-19062020-220019

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942**
No. 301]	**NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

सा. का. नि.392(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जब सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001-को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ईमेल - किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1)** इन नियमों को भारतीय केंद्रीय मोटर यान (भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच परिवहन सेवा का विनियमन (माल ढुलाई और यात्री वाहनों का आवागमन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

.2परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "एमओयू" का अभिप्राय है भारत सरकार और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के बीच परिवहन सेवा के विनियमन के लिए किसी भी विशिष्ट तिथि पर विधिवत हस्ताक्षरित भारत गणराज्य और भारत के पड़ोसी देशों के बीच समझौता;

(ख) "प्राधिकार शुल्क" का अभिप्राय प्राधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरे देश के परमिट धारक द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क है;

(ग) "क्रू"का अभिप्राय चालक, कंडक्टर और संपर्क अधिकारी है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अभिप्राय है, - के संबंध में -

(i) "परमिट", भारत के पड़ोसी देश के कानून के तहत अधिकृत ऐसे परमिट को जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(ii) "ड्राइविंग लाइसेंस", भारत के पड़ोसी देश (शों) के कानून के तहत अधिकृत ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(iii) "कंडक्टर का लाइसेंस", संबंधित देश "देश" से अभिप्राय है भारत या भारत का पड़ोसी देश, जैसा भी मामला हो, के कानून के तहत अधिकृत ऐसा कंडक्टर लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(iv) "पंजीकरण प्रमाणपत्र", भारत के पड़ोसी देश (शों) के कानून के तहत इस तरह के पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(ड.) "प्रपत्र" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी प्रपत्र;

(च) "संपर्क अधिकारी" का अभिप्राय परिवहन वाहन का परिचालन पर्यवेक्षण करने और यात्रियों एवं सीमा शुल्क तथा आव्रजन अधिकारियों और यात्रियों तथा निर्धारित भोजन आउटलेट या रेस्तरां के बीच संपर्क रखने के लिए अधिकृत क्रू में शामिल अधिकारी;

(छ) "सहायक प्रमाण पत्र" से अभिप्राय एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र है;

(ज) "ड्राइविंग लाइसेंस" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत किया जाता है;

(झ) "यान" से भारत और उसके पडोसी देश(शों) के बीच माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन के लिए मोटर यान अभिप्रेत है;

(ञ) "फिटनेस प्रमाण पत्र" से अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है,जो सड़क पर चलने के लिए यान की यांत्रिक योग्यता प्रमाणित करता है;

(ट) "बीमा पॉलिसी" से अभिप्राय भारतीय क्षेत्र में विस्तारणीय एक विधिमान्य वाहन बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है जिसमें तृतीय पक्षकार जोखिम व्यापक रूप से सम्मिलित है;

(ठ) "पंजीकरण प्रमाण पत्र" का अभिप्राय, जब एक यान के संबंध में प्रयोग किया जाता है,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है;

(ड) "पीयूसी प्रमाण पत्र" का अभिप्राय है भारत या भारत के पड़ोसी देशों में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;

(ढ) "निर्धारित सेवा मार्ग" का अभिप्राय भारत और अन्य पड़ोसी देश(शों) के बीच बस सेवा के विनियमन के लिए समय सारिणी और समझौते के प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्ट अन्य परिचालन संबंधी आयाम;

(ण) "परमिट" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा यान के प्रचालन को प्राधिकृत किया जाता है;

(त) "विस्फोटक लाइसेंस" से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया गया लाइसेंस अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" का अभिप्राय भारत है।

3. **परमिट का प्रपत्र, सामग्री और अवधि आदि -** (1) परिवहन वाहन के लिए नियमित परमिट अनुसूची-**I** में निर्धारित प्रपत्र में होगा औरयह गैर-हस्तांतरणीय होगा।

(2) परिवहन वाहन के लिए एक नियमित परमिट एक वर्ष के लिए मान्यहोगा और वार्षिक आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक नवीकरणीय होगा।

4. **किसी वाहन की योग्यता की स्थिति -** (1) एक परिवहन वाहन का निर्माण और रख-रखाव ऐसा होना होगा कि यह हर समय इसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण में होना चाहिए।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवहन यान चालक के पास होना होगा, -

(क) संबंधित देश के कानून के तहत जारी एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) संबंधित देश के कानून के तहत जारी फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र;

(ग) संबंधित देश के कानून के तहत जारी एक वैध बीमा पॉलिसी;

(घ) संबंधित देश के कानून के तहत जारी एक वैध परमिट;

(ङ.) यात्रियों की राष्ट्रीयता के विवरण के साथ एक यात्री सूची;

(च) संबंधित देश के कानून के तहत एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र; तथा

(छ) यदि किसी भी प्रकार के खतरनाक माल की ढुलाई की जा रही है तो इस तरह के वाहन के संबंध में वैध विस्फोटक लाइसेंस किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे वाहन के निरीक्षण के लिए उक्त सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. **ड्राइवर और कंडक्टर के लिए शर्तें** (1) किसी परिवहन वाहन के चालक के पास इस प्रकार के वाहन को चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस और चालक का बैज होना चाहिए।

(2) किन्हीं कारणों से, किसी देश के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट चालक अन्य देश में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है,तो ऐसे अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंसधारी ड्राइवर वाहन चला या वाहन के कंडक्टर के रूप में, जैसा भी मामला हो,कार्य कर सकता है।

6. **परिवहन वाहन पर प्रदर्शित किए जाने वाले विशिष्ट विवरण-**समझौते के तहत प्रचालनमें परिवहन वाहन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपी गई पंजीकरण संख्या के अलावा निम्नलिखित विवरण अंग्रेजी में और संबंधित देश की आधिकारिक भाषा में [वैध रूप से पेंट किए गए एक सादे प्लेट या वाहनों पर लगाए गए प्लेटों पर प्रत्येक अक्षर अधिकतम दो इंच (पांच सेंटीमीटर) ऊंचा और दो इंच (पांच सेंटीमीटर) चौड़ा], अंकित किए जाएंगे,अर्थात्: -

(i) भारत के पड़ोसी देश का स्थान -भारत का स्थान - भारत के पड़ोसी देश का स्थान (इस तरह के परिवहन वाहन के आगे और पीछे की तरफ एक विशिष्ट स्थान पर)।

(ii) परिवहन वाहन सेवा के संचालक का नाम (ऐसे परिवहन वाहन के दोनों ओर)।

7. **बस चालक दल (क्रू) का व्यक्तिगत प्रभाव —**समझौते के तहत प्रचालित परिवहन वाहन का बस चालक दल (क्रू)दोनों देशों के सीमा शुल्क कानूनों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मेजबान देश में अपने प्रवास की अवधि के संबंध में ऐसे व्यक्तिगत प्रभाव अपने साथ रख सकता है, जैसा कि आवश्यक हो।

8. **वाहन का बीमा-** कोई परिवहन वाहन, जिसकी ऐसी बीमा पॉलिसी ना हो, जो परिवहन वाहन के प्रयोग से उत्पन्न व्यापक या तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करती है और जो संबंधित देश के कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन ना करता है, इन नियमों के तहत प्रचालित नहीं होगा।

9. **इसमें शामिल विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारी-**

i. परिवहन विभाग, भारत के किसी भी राज्य की सरकार (जैसा कि एमओयूमें उल्लेख किया गया है) की परिवहन सेवा के प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगा और वह उन्हें सौंपे गए विभिन्न अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

ii. परिवहन सेवा को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। डीआईजी रैंक के पुलिस कार्यालय को ऐसी जिम्मेदारियों सौंपी जाएंगी।

iii. राज्य का स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधाओं / आपात स्थितियों के लिए समन्वय करेगा।

iv.परिवहन सेवा के सुचारू प्रचालन के लिए इंटेलिजेंस संबंधी मुद्दों के समन्वय की जिम्मेदारी के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) नोडल इंटेलिजेंस एजेंसी होगी।

v.राज्य परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सेवा कितने दिनों तक चलेगी (जैसा कि एमओयू में उल्लिखित है) और आवृत्ति की समीक्षा की जाएगी और उसे मांग के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

vi. परिवहन सेवा एमओयू में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करेगीऔर राज्य परिवहन विभाग वाहन के रूकने के स्थान(नों) का फैसला करेगा।

vii. राज्य परिवहन विभाग निर्धारित स्थान से प्रस्थान के पूर्व टिकट, वाहन का दोष मार्जन, वाहन की सड़क पर चालन योग्यता,यात्रियों और चालक दल की तलाशी/ जांच, सामान संभालना आदि जैसी औपचारिकताओं का ध्यान रखेगा।

viii. विभिन्न एजेंसियां भारत के आईसीपी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) पर उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां निभाएंगी।

अनूसूची-I (नियम 3 देखें)

भारत (भारत)-भारत के पड़ोसी देशों (मांडले) के बीच चलने वाले परिवहन वाहनों को चलाने के लिए परमिट का प्रपत्र

*नियमित परमिट

(जो लागू न हो, काट दें)

भारत सरकार / भारत के पड़ोसी देश की सरकार भारत (भारत) - भारत के पड़ोसी देशों के बीच वाहनों के परिवहन की अनुमति देती है।

(क) मोटर वाहन के ऑपरेटर का नाम, पता और राष्ट्रीयता।

(ख) वाहन की पंजीकरण संख्या।

(ग) परिवहन प्रचालकों की प्रकृति: एक स्थान से दूसरे स्थान तक-उदाहरण के लिए-भारत-मांडले - भारत।

(घ) वाहन की क्षमता:

(i) बैठने की क्षमता

(ii) लदान भार

(ड.) बीमा पॉलिसी का विवरण।

(च) फिटनेस प्रमाणपत्र का विवरण।

(छ) प्रत्येक देश में प्रारंभ और अंतिम बिंदु।

(ज) निर्धारित यात्री सेवा वाहन द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मार्ग या मार्गों।

यह परमिट .... से..तक मान्य है और गैर-हस्तांतरणीय है।

....	....
हस्ताक्षर, पदनाम और मोहर,	हस्ताक्षर, पदनाम और मोहर,
सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार	सक्षम प्राधिकारी, भारत के पड़ोसी देश की सरकार

इस परमिट को एतदद्वारा ....तक नवीनीकृत किया जाता है।

....	....
हस्ताक्षर, पदनाम और मोहर,	हस्ताक्षर, पदनाम और मोहर,
सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार	सक्षम प्राधिकारी, भारत के पड़ोसी देश की

सरकार....................................

* इसका अभिप्राय है कि निर्धारित सेवा मार्ग पर, जैसा कि इस तरह के परमिट में निर्दिष्ट किया गया है,परिवहन वाहन को अधिकृत करते हुए, एक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और अन्य देश के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परमिट,और इसमें यात्री परिवहन के लिए नियमित परमिट शामिल है।

नोट: पंजीकरण कागजात और अन्य दस्तावेज जैसे बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, आदि वाहन (नों) में होने चाहिए और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

[सं.आरटी-11036/27/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि....... (अ) दिनांकित........के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

G.S.R. 392(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL),email : jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement** (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Regulation of Bus Service between India and Neighbouring countries of India (Movement of Vehicles Carrying Goods and Passengers) Rules, 2020.

   (2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

   In these rules, unless the context otherwise requires.

   a) “MoU” means the Agreement between the Government of the Republic of India and the Neighbouring countries of India for the regulation of Bus Service between India and other Neighbouring countries of India duly signed on any specific date;

   b) "authorisation fee" means the fee to be paid by the permit holder of one country to the other country for obtaining authorisation;

   c) "crew" means driver, conductor and the liaison officer;

   d) "competent authority" means,— in relation to—

      (i) "permits", an authority competent to issue such a permit authorised under the law of the Neighbouring countries of India;

      (ii) "driving licence", an authority competent to issue such a driving licence authorized under the law of the Neighbouring countries of India;

      (iii) "conductor's licence", an authority competent to issue such a conductor's licence authorised under the law of the country concerned; "country" means India or Neighbouring countries of India, as the case may be;

(iv) "registration certificate", an authority competent to issue such Registration Certificate under the law of Neighbouring countries of India;

e) "Form" means any of the Form specified in the Schedule annexed to these rules;

f) "Liaison Officer" means official included in the crew authorised to carry out operational supervision of transport vehicle and to keep liaison between passengers and customs and immigration authorities and between passengers and prescribed food outlets or restaurants;

g) "helper's certificate" means a certificate issued by the party signing the MoU;

h) "driving licence" means the document issued by a competent authority, authorising the person specified therein to drive a motor vehicle;

i) "vehicle" means motor vehicle, for the carriage of Passengers and Goods between India and Neighbouring countries of India ;

j) "certificate of fitness" means a certificate issued by a competent authority, testifying the mechanical fitness of the vehicle to ply on the road;

k) "insurance policy" means a valid vehicle insurance policy, extendable in Indian territory, covering comprehensive third party risks;

l) "registration certificate" when used with reference to a vehicle, means the certificate of registration issued by the competent authority;

m) "PUC certificate" means Pollution Under Control Certificate issued by appropriate authorities in Neighbouring countries of India or India;

n) "scheduled service routes" mean the routes along with the time schedule and other related operational aspects specified in the Protocol to the Agreement for the regulation of bus service between India and other Neighboring Countries;

o) "permit" means document issued by the competent authority authorising the movement of a vehicle;

p) "explosive license" means license issued by Petroleum Explosive Safety Organisation under Department for the Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;

q) "State" means State of India.

3. Forms, contents and duration, etc., of the permit.—(1) A regular permit for transport vehicle shall be in the Form set out in Schedule I and shall be non-transferable.

(2) A regular permit for transport vehicle shall be valid for one year and renewable upto a maximum period of five years on a yearly basis.

4. Eligibility conditions of a vehicle.—(1) A transport vehicle shall be so constructed and maintained as to be at all times under the effective control of the person driving it.

(2) Driver of a transport vehicle referred to in sub-rule(1) shall have,—

(a) a valid registration certificate issued under the law of the country concerned;

(b) a valid certificate of fitness issued under the law of the country concerned;

(c) a valid insurance policy issued under the law of the country concerned; (d) a valid permit under the law of the country concerned;

(e) a passenger list with details of their nationality; and

(f) a valid PUC certificate under the law of the country concerned;

(g) a valid Explosive license if any kind of hazardous goods are being transported in respect of such vehicle and shall make all the said documents available for inspection by any authority competent to inspect such vehicle.

5. Conditions for the driver and conductor.—(1) The person driving a transport vehicle shall be in possession of a valid driving licence issued by a competent authority to drive such a vehicle and the driver's badge.

(2) The conductor of a transport vehicle shall be in possession of a valid conductor's licence issued by a competent authority.

(3) For any reason, a driver referred to in sub-rule (1) or a conductor referred to in-sub-rule (2), of a country is unable to perform his duties in the other country, a driver or a conductor in possession of a valid licence issued by the competent authority of such other country, may drive or act as a conductor of the vehicle, as the case may be.

6. Distinguishing particulars to be exhibited on the transport vehicle. In addition to the registration number assigned to a transport vehicle operating under the Agreement by the competent authority, the following particulars shall be painted in English and in official language of the respective country [each letter being not less than two inches (five centimeters) high and two inches (five centimeters) wide, legibly painted on a plain plate or plates affixed to the vehicles], namely:—

(i) Place of India - Place of India Neighboring Country - Place of India (on front side and back side of such transport vehicle in a conspicuous place).

(ii) Name of the operator of the bus service (on both the sides of such transport vehicle).

7. Personal effects of bus crew.—The bus crew of a transport vehicle operating under the Agreement may carry such personal effects, as may be necessary, having regard to the period of their stay in the host country subject to conditions specified in the customs laws of both countries.

8. Insurance of the vehicle.—No transport vehicle which does not have a policy of insurance which covers comprehensive or third party risks, arising out of the use of transport vehicle and which complies with the requirements of the law of the country concerned shall operate under these rules.

9. Responsibility of various stakeholders involved-

i. The Transport Department, Government of any States of India (as mentioned in MoU) will be responsible for the conduct of the bus service and will perform various other duties assigned to them.

ii. It will be the duty of State police to provide security to the bus service. A DIG rank police office shall be assigned such responsibilities.

iii. Health Department of the State will coordinate for medical facilities/emergencies.

iv. Intelligence Bureau (IB) will be the nodal Intelligence Agency with responsibility to coordinate the intelligence related issues for smooth conduct of bus service.

v. The bus service will be running for as many days (as mentioned in MoU) and frequency will be reviewed by the State Transport Department and increase as per demand.

vi. The bus service shall follow the designated routes as mentioned in MoU and State Transport Department will decide the halting place for the buses

vii. State Transport Department will take care of formalities like provisioning of tickets, debugging of bus, roadworthiness of the bus, frisking/checking of passengers , handling of luggage etc. before departure from the designated place.

viii. The various agencies shall perform responsibilities assigned to them at ICP (integrated check post) of India.

SCHEDULE (See rule 3)

FORM OF PERMIT TO PLY TRANSPORT VEHICLES ON INDIA (INDIA) – (MANDALAY) NEIGHBOURING COUNTRIES OF INDIA

REGULAR PERMIT*

(Strike out whichever is not applicable)

Government of India /Government of Neighboring countries of India

Permit to ply transport vehicles between India (India) - Neighboring countries of India.

(a) Name, address and nationality of the operator of motor vehicle.

(b) Registration Number of the vehicle.

(c) Nature of transport operators: Point to point India - Mandalay - India.

(d) Capacity of the vehicle:

(i) Seating capacity

(ii) Laden Weight

(e) Particulars of insurance policy.

(f) Particulars of Certificate of fitness.

(g) The starting and terminal points in each country.

(h) The route or routes to be followed by the scheduled passenger service vehicle.

This permit is valid from…………………………………. to …………………………………. and is not transferable.

.... ……….

Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of India

Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of Neighbouring countries of India

This permit is hereby renewed upto the day of ………………………………………………

.... ……….

Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of India

Signature, Designation and Seal of the Competent authority of the Government of Neighbouring countries of India

*means a permit issued by competent authority of one country and countersigned by the competent authority of the other country, authorising the transport vehicle to ply on the scheduled service route, as specified in such permit, and includes regular permit for passenger transport.

Note. Registration papers and other documents such as insurance certificate, fitness certificate, etc., shall be carried on the vehicle(s) and made available for inspection on demand by the competent authority or any officer duly authorised by the authority.

[No.RT-11036/27/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R …….. (E) dated……………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.19 20:09:39 +05'30'